पंचायत निगरानी संख्या : 66/2024
उनवान : गोपालसिंह बनाम रतनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

नये नम्बर	गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 66/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/73	पंचायत निगरानी संख्या 42/2021 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/90

प्रार्थी :–

गोपालसिंह पुत्र श्री उगमसिंह जाति राजपुत निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज. बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रतनसिंह पुत्र मानसिंह
2. दोलतसिंह पुत्र चन्दनसिंह

जातिगण राजपुत निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज.

3. सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा पंचायत समिति, बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत मुण्डारा के संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 व विक्रय विलेख पट्टा संख्या 15 जारी दिनांक 31.03.2017 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 15.09.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत मुण्डारा के संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 व विक्रय विलेख पट्टा संख्या 15 जारी दिनांक 31.03.2017 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का आवासीय मकान ग्राम मुण्डारा में निम्न पड़ौसियों के बीच स्थित है। पूर्व में पड़त भूमि, पश्चिम हिम्मतसिंह, गणपतसिंह पुत्र श्री करणसिंह राजपूत का मकान, उत्तर में गली, दक्षिण में आम रास्ता व दरवाजा स्थित है। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत मुण्डारा से पट्टा संख्या 38 दिनांक 31.12.2009 को जारी शुदा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 66/2024
उनवान : गोपालसिंह बनाम रतनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

है। यह है कि प्रार्थी के मकान की पूर्व दिशा की तरफ पड़त व गली स्थित है जिस पर आज भी किसी भी व्यक्ति का कोई निर्माण या कब्जा नही है। उक्त पड़त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने कब्जा करने की कोशिश की तथा सीमा ज्ञान का विवाद किया तब प्रार्थी को इस बात की जानकार हुई कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अप्रार्थी संख्या 3 से मिलावट कर एक विक्रय विलेख पट्टा संख्या 15 पंचायत राज नियमों के विपरित दिनांक 31.03.2017 को प्राप्त किया है व पट्टे की आड में प्रार्थी से दखल अन्दाजी पर अमादा है। यह पड़त भूमि वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जाएगी पट्टा संख्या 15 जैर निगरानी पट्टे के नाम संम्बोधित किया जाएगा। साथ ही प्रार्थी के पूर्व दिशा में पड़त भूमि के रुप में जो चौक स्थित है व कब्जा करने से उसके हवा, पानी, व सुखाधिकार प्रभावित होने से प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार होने से निगरानी प्रस्तुत है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने ग्राम पंचायत मुण्डारा में कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा बनाने का आवेदन पेश किया जिस पर कोई दिनांक अंकित नही है एवं पट्टा बनाने हेतु नियम 145 के तहत भूखण्ड क्रय करने के लिए आवेदन शुल्क 10 रुपये व नक्शा शूल्क 25 रुपये व निरीक्षण शूल्क 25 रुपये जमा नहीं कराए जिससे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का प्रार्थना पत्र नियमानुसार ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं किया गया तथा बिना दर्ज के ही दिनांक 19.02.2016 को मिसल खोलकर डी.एल.सी. दर से बेचने को ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटीस प्रकाशन नहीं किया गया तथा भूमि बेचने का प्रस्ताव किसी भी पंचायत के सदस्य द्वारा कोरम में नहीं रखा गया तथा भूमि बेचने बाबत् नियम 151 के तहत कोई निलामी समिति का गठन नहीं किया गया तथा सबरजिस्ट्रार द्वारा ग्राम मुण्डारा की भूमि की डी.एल.सी. रेट बाबत् भी कोई पत्राचार नहीं किया गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा ने अपने स्वच्छा से दिनांक 09.11.2016 को 37550 रुपये में भूमि विक्रय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कर दी। जिससे निगरानी प्रथम दृष्टया स्वीकार किये जाने योग्य है। यह भी कि ग्राम पंचायत में प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 को गैर कानूनी पारित किया है एवं विक्रय प्रस्ताव से पूर्व ही कर दिया गया जो खारिज काबिल है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा यह तथ्य गलत अंकित किये गये है कि सादडी फालना रोड़ पर आबादी भूमि पर कब्जा 50 वर्षों से हो नियम 145 के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया न ही अप्रार्थीगण की निशानदेही से बनाया गया है साथ ही नियम 146 के तहत वार्डपचों की कमेटी का गठन नहीं किया गया जो मिसल की आदेशिका से साबित है तथा निरीक्षण रिपोर्ट पर कोई तारीख किमत व बेचाण किये जाने का तरीका कब्जा बाबत् कोई रिपोर्ट अंकित नही है जिससे निरीक्षण रिपोर्ट खारिजे काबिल है तथा एक माह का आम आपत्ति नोटिस सरपंच ने जारी नही किया तथा दिनांक व प्रेषित संख्या व सार्वजनिक स्थान व सम्पति पर चस्पा नही किया गया जो आदेशिका से साबित है। जिससे भी निगरानी प्रथम दृष्टया स्वीकार किये जाने योग्य है। यह है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी किये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 66/2024
उनवान : गोपालसिंह बनाम रतनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जाने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने नियमानुसार आवेदन पेश नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने नियम 145, 146,147,148,149 की पालना नहीं की है तथा ग्राम पंचायत ने नियम 150 के तहत भूमि निलाम किये जाने का कोई सार्वजनिक आवेदन आमन्त्रित नहीं किया गया तथा नोटिस प्रकाशन नहीं किया तथा नोटीस उदघोषित नहीं किया, नियम 151 के तहत निलामी की तारीख घोषित नही की तथा आवेदक रतनसिंह पुत्र मानसिंह व दोलतसिंह पुत्र चन्दनसिंह दो अलग अलग परिवार के व्यक्ति होने से आवेदक की संख्या एक से अधिक होने से ओपन बोली नही लगाई गई जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व हानि हुई तथा नियम 154 के तहत ग्राम पंचायत की आगामी बैठक में विक्रय की पुष्टि नहीं की गई तथा ग्राम पंचायत की ओर से नियमानुसार 1 व 2 को कोई कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। नियम 161 के तहत विक्रय प्रतिबन्धित है व नियम 167(1) के तहत विक्रय की पुष्टि व अपील का समय का इन्तजार किये बगैर विक्रय विलेख जारी कर दिया जो खारिजे काबिल है।

यह है कि ग्राम पंचायत ने नियम 167 (1) के तहत जो विक्रय विलेख जारी किया गया है व आवासीय व वाणिज्यिक जारी किया गया है इस बाबत् कोई स्पष्ट नोट पट्टे पर अंकित नही है जिससे नियम 144 के तहत भी नियमों के विपरित होने से प्रस्ताव व विक्रय विलेख खारिजे काबिल है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 गैर कानुनी दखलअन्दाजी व निर्माण कार्य करने की चेष्टा कर रहे है जिससे अस्थाई व्यादेश द्वारा रोका जाना न्याय संगत होने से स्थगन प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है जो सफल होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत मुण्डारा का संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 व पट्टा संख्या 15 जारी दिनांक 31.03.2017 खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि :–

1. पद संख्या एक प्रार्थना पत्र का जवाब है कि प्रार्थी का आवासीय मकान इस पद में वर्णित नाप व पडौस का पट्टा नम्बर 38 दिनांक 31.12.2009 के जारी होने का अप्रार्थीगण को जानकारी नही होने से अस्वीकार है प्रार्थी स्वयं साबित करें।
2. पद संख्या दो प्रार्थना पत्र का जवाब है कि प्रार्थी के मकान के पूर्व दिशा में पड़त भूमि आई हई थी जिस पड़त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक व दो को 50 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार, नियमित कब्जा आया हुआ होने से प्रार्थी ने उक्त सम्पति का आवासीय पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत मुण्डारा में वर्ष 2016 में आवेदन पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली संख्या 276ए/2015–16 दिनांक 19.02.2016 को मुर्तीब की जाकर तमाम औपचारिकता पूर्ण करने के बाद अप्रार्थी संख्या एक व दो ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा अपने संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 को नियमानुसार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पट्टा विलेख वर्तमान बाजारु दर की राशि रुपये 37550/– ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा जरिये रसीद संख्या 159 दिनांक 19.11.2016 को प्राप्त कर जारी किया गया है जिस निम्न पड़ौस व नाप की सम्पति पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का कब्जा निर्विवाद रुप से शान्तिपूर्वक, लगातार, नियमित व प्रार्थी की जानकारी मे होते हुए चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या एक व दो ने नींव भरवाकर हत्था निकाला है जिससे प्रार्थी का यह लिखना की उक्त सम्पति पर किसी भी व्यक्ति का कोई निर्माण व कब्जा नहीं है का कथन गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। तथा अप्रार्थीगण को जारी पट्टा नम्बर 15 के पड़ौस निम्न है :–

उत्तर में:– गली।

दक्षिण में:– आम रास्ता व दरवाजा।

पूर्व में:– गली।

पश्चिम में:– गोपालसिंह पुत्र उगमसिंह

उपरोक्त पड़ौस का भूखण्ड संख्या नाप मे उत्तर से दक्षिण 18 फीट लम्बा व पूर्व से पश्चिम 15 फीट चौड़ा नाप में कुल 270 वर्गफीट का आया हुआ है जिस पर अप्रार्थी का कब्जा है। जिससे प्रार्थी को यह लिखना की अप्रार्थीगण कब्जे में हवा, पानी, सुखाचार, प्रभावित होने से प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार मुकदमा है का कथन गलत है। व अगर प्रार्थी के कोई हवा पानी, सुखाचार अप्रार्थीगण के कब्जे में प्रभावित होते भी है तो जब तक सक्षम दीवानी न्यायालय के सुखाधिकार की घोषणा नहीं करवा लेता है प्रार्थी को कोई अधिकार प्रभावित नही होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थी को यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं है व स्पष्ट है की प्रार्थी के कोई हित पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे प्रार्थी को प्रस्तुत पंचायत निगरानी अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करने का कोई Locus Standi नहीं बनता है। इसी आधार पर प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

3. पद संख्या तीन प्रार्थना पत्र का जवाब है कि प्रार्थी का यह लिखना की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पेश किये गये आवेदन पत्र पर कोई दिनांक अंकित नही है का कथन गलत है अप्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2016 को पत्रावली संख्या 276ए/2015–16 मूर्तीब की गई जिससे तमाम औपचारिकताओ का निर्वहन करते हुए जिला स्तर निर्धारण कमेटी द्वारा निर्धारित दर रुपये 37550/– अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.11.2016 को रसीद संख्या 159 जमा कराने के बाद ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 से पट्टा जारी किया गया है जिस में आदेशिका मुर्तीब की गई पंचगण द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गई जिसको तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा अनुमोदित किया गया व मौके पर अप्रार्थीगण 1 व

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

2 का भौतिक व वास्तविक कब्जा पाये जाने पर व आपत्ति पत्र पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा राजस्थान पंचायत नियम 1994 की निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए विक्रय विलेख जारी किया गया है जिसमें प्रार्थी के कोई हक हकूक अधिकार सुखाचार प्रभावित नही होते है। जिससे भी प्रार्थी की रिविजन याचिका काबिल निरस्त के है।

4. पद संख्या चार प्रार्थना पत्र का जवाब है कि ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 को विधि सम्मत तरीके से पारित कर विक्रय विलेख जारी किया जाना तय किया गया व संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 के अनुसरण में दिनांक 31.03.2017 को भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया है।

5. पद संख्या पांच प्रार्थना पत्र का जवाब है कि ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व नियम 145, 146 पंचगण की कमेटी नियुक्ति कर पंचगण की दी गई रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत मुण्डारा के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी ने अनुमोदन कर अप्रार्थी संख्या एक व दो का कब्जा होना पाया जाने पर व आपत्ति पत्र की पालना में किसी सख्स की आपत्ति नहीं होने पर दिनांक 31.03.2017 को विक्रय विलेख जारी किया गया है जिससे तमाम नियमों की पालना की गई है जिससे प्रार्थी का पंचायत निगरानी काबिल निरस्त के है।

6. पद संख्या छः प्रार्थना पत्र का जवाब है कि ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा न केवल नियम145, 146, 147, 148, 149, 150, 154 की पालना की गई बल्कि राजस्थान पंचायत नियम 1994 की अक्षरक्ष पालना की जाकर किसी की आपत्ति नहीं आने पर विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या एक व दो को सयुक्त रूप से जारी किये जाने से प्रार्थी का यह लिखना की आवेदक एक से अधिक होने से ओपन बोली नही लगाई गई का कथन गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या एक व दो के पक्ष में ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा जारी पट्टा नम्बर 15 को निरस्त करवाये जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होता है जिससे भी प्रार्थी की पंचायत निगरानी काबिल निरस्त के है।

7. पद संख्या सात प्रार्थना पत्र का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो को आवासीय व वाणिज्यिक पट्टा जारी नहीं किया गया है बल्कि स्पष्ट रुप से आवासीय भूमि का आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया है जो पट्टा नम्बर 15 पर स्पष्ट रुप से प्रारुप संख्या 23 नियम 167–1 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत जारी किया गया है जिससे नियम उपनियम व अपनाई जाने वाली किसी भी औपचारिकताओं का उल्लंघन नहीं किया गया है जिससे भी प्रार्थी की पंचायत निगरानी काबिल निरस्त के है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

8. पद संख्या आठ प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक व दो का पट्टा नम्बर 15 की भूमि पर विधिक कब्जा होकर मौके पर नींव व हत्था निकाला हुआ है जो जवाब के साथ संलग्न फोटोग्राफ्स से जाहिर होता है।

9. पद संख्या नौ प्रार्थना पत्र का जवाब है कि पंचायत निगरानी की न्यायालय श्रवणाधीकार व क्षेत्राधिकार की होकर म्याद बाहर पेश की गई है जो इसी विनाय पर काबिल खारिज है कि प्रार्थी ने दिनांक 31.03.2017 के जारी पट्टा नम्बर 15 को निरस्त किये जाने का पंचायत निगरानी दिनांक 10.03.2021 को पेश की है जो स्पष्ट म्याद बाहर है व प्रार्थी की ओर से हुई देरीना को माफ करने का कोई आधार के आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है जिससे भी प्रार्थी की पंचायत निगरानी काबिल निरस्त के है। अतः पंचायत निगरानी के अभाव अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की पंचायत निगरानी की सारहीन व कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खर्चे सहित खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

निगरानी याचिका से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत से तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी के पट्टाशुदा भूखण्ड की पूर्व दिशा में अवस्थित पड़त भूमि का ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक एवं दो के पक्ष में संयुक्त रुप से आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है, जो कि नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किया जाना अपेक्षित था किन्तु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने एवं अवैधानिक ढंग से अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. दर पर विक्रय कर प्रार्थी के दावे व अधिकारों का हनन किया गया है। कि आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड प्रार्थी के पट्टाशुदा भूखण्ड व मकान के निकट स्थित है, अतः उक्त भूखण्ड पर प्रथम अधिकार / दावा प्रार्थीपक्ष का होते हुए भी अप्रार्थीगण के साथ दुरभिसंधि करते हुए आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया, जिसके विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है, आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है, जिसका निगरानी याचिका में पदवार विवरण दिया गया है अतः आलोच्य प्रस्ताव संख्या 4 एवं भूमि विक्रय विलेख संख्या 15 दिनांक 31.03.2017 को अपास्त किया जाए।

उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थी संख्या एक एवं दो ने वक्त बहस निवेदन किया कि आलोच्य भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

होने से ग्राम पंचायत द्वारा डी.एल.सी. दर पर निर्धारित शुल्क लेकर तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए वैधानिक रुप से आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है, जिसे चुनौति देने का प्रार्थी को वैधानिक रुप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अर्थात् प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से उसके द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका काबिल खारिज है। यह भी, कि हस्तगत निगरानी याचिका अवधि बाधित है तथा देरी के उपशमन हेतु प्रार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही पूर्ण करने से हस्तगत निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम, प्रार्थी के आवासीय मकान के पट्टा संख्या 38 दिनांक 21.12.2009 की पूर्व दिशा में पड़त भूमि अंकित है तथा आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 15 की चतुर्दशी में भी पश्चिम दिशा में प्रार्थी का भूखण्ड अवस्थित होना अंकित है। अतः यह निर्विवादित तथ्य है कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड प्रार्थी के पट्टाशुदा भूखण्ड के पड़ौस में अवस्थित है। अतः प्रार्थी को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शुमार मानते हुए प्रकरण को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

द्वितीयतः, अप्रार्थीपक्ष द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका को अवधिबाधित मानते हुए मियाद के बिन्दु पर खारिज करने का निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई समयसीमा विधिक प्रावधानों में निर्धारित नहीं है। साथ ही, आलोच्य पट्टा विलेख व संकल्प वर्ष 2017 में निष्पादित किया गया, जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.03.2021 को अर्थात् लगभग चार वर्षों के अवधि अन्तराल के बाद हस्तगत निगरानी पेश की गई, जो कि असामान्य विलम्ब की श्रेणी में नहीं आता है।

न्यायालय हाजा के समक्ष अभिनिर्धारण हेतु मूल प्रश्न यह है कि:–

"आया ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा आलोच्य संकल्प संख्या 04 एवं भूमि विक्रय विलेख संख्या 15 दिनांक 31.03.2017 निष्पादित करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना की गई है अथवा नहीं?"

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 66/2024
उनवान : गोपालसिंह बनाम रतनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

इस सम्बन्ध में आलोच्य मिसल संख्या 276ए/2015–16 तथा मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते है:–

1. अप्रार्थी संख्या एक एवं दो द्वारा संयुक्त रुप से ग्राम पंचायत में एक आवेदन प्रस्तुत कर आलोच्य भूखण्ड पर स्वयं का 50 वर्षों से कब्जा बताकर डी.एल.सी. दर पर पट्टा बनवाने का निवेदन किया गया। यद्यपि आवेदक द्वारा पट्टा शुल्क व नक्शा शुल्क जमा करवाने का कोई प्रमाण मिसल में उपलब्ध नहीं है।
2. मिसल की प्रथम आदेशिका दिनांक 22.02.2016 द्वारा उपरोक्त आवेदन पर मिसल दर्ज करने का अंकन है, किन्तु सरबरक पर मिसल दर्ज दिनांक 19.02.2016 अंकित है।
3. आवेदकगण द्वारा दिनांक 19.11.2016 को ज़रिए रसीद क्रमांक 159 राशि 37550/– रुपये पंचायतकोष में जमा करवाए गए, जिसकी तस्दीक आदेशिका दिनांक 09.11.2016 में भी की गई है। महत्वपूर्ण है कि उक्त राशि जमा करवाने की दिनांक 19 नवम्बर है जबकि दस दिन पूर्व ही इसका उल्लेख तत्कालीन सरपंच द्वारा आज्ञा दिनांक 09.11.2016 तथा प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 09.11.2016 में कर दिया गया, जो न केवल विरोधाभाषी है अपितु सम्पूर्ण कार्यवाही को कूटरचित व सन्देहास्पद बनाने हेतु पर्याप्त आधार भी है।
4. आवेदकगण द्वारा डी.एल.सी. दर से राशि 37550/– रुपये जमा करवाने की तिथि 19.11.2016 तक ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य भूखण्ड का डी.एल.सी. दर से विक्रय करने सम्बन्धि कोई निर्णय ही नहीं लिया गया था। अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा निर्णय लेने से पूर्व ही आवेदकगण द्वारा डी.एल.सी. दर पर भूखण्ड राशि जमा करवायी गई एवं ग्राम पंचायत द्वारा इसका पश्चातवर्ती अनुमोदन ज़रिए संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.2017 को किया गया।
5. मूल मिसल संख्या 276 ए में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलंग्न है किन्तु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 की पूर्वापेक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा न तो मौका निरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव या संकल्प पारित किया गया, न ही आदेशिका में इस निमित कोई आज्ञा ही अंकित है और न ही तीन पंचों के मनोनयन सम्बन्धि कोई आदेश मूल पत्रावली में सलंग्न है। उपरोक्त के अभाव में यह निर्धारण नहीं किया जा सकता कि स्थल निरीक्षण करने वाले तीनों व्यक्तियों ने किस अधिकारिता से उक्त रिपोर्ट तैयार की।
6. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के उपबन्धानुसार ग्राम पंचायत हेतु यह आज्ञापक है कि आबादी भूमि के विक्रय से पूर्व एक माह की अवधि का आपत्ति आमन्त्रण नोटीस जारी किया जाए किन्तु हस्तगत प्रकरण में आपत्ति इश्तिहार जारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 66 / 2024
उनवान : गोपालसिंह बनाम रतनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

करने हेतु न तो कोई आज्ञा पारित की गई और न ही पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित किया गया। मूल मिसल में आपत्ति इश्तिहार अवश्य सलंग्न है परन्तु उक्त इश्तिहार पर कोई दिनांक अंकित नहीं है और न ही आदेशिकाओं में उक्त आपत्ति इश्तिहार का कहीं उल्लेख है। इससे यह निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है कि उक्त आपत्ति इश्तिहार किस दिनांक को जारी किया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा तीस दिवस की अवधि गणना किस आधार पर की गई।

7. यह अंकन करना महत्वपूर्ण है कि जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख दो व्यक्तियों श्री रतनसिंह एवं श्री दोलतसिंह, के नाम संयुक्त रुप से निष्पादित किया गया है। प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका के पद संख्या छह में सशपथ कथन किया है कि उक्त दोनों व्यक्ति सम्बन्धित नहीं होकर अलग अलग परिवारों से आते है। अप्रार्थीगण द्वारा भी उक्त कथन का खण्डन नहीं किया गया। अर्थात यह स्वीकार्य स्थिति है कि ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा आलोच्य भूखण्ड पर दो अलग अलग एवं परस्पर असम्बन्धित व्यक्तियों का संयुक्त कब्जा मानते हुए डी.एल.सी. दर पर उक्त भूखण्ड का विक्रय किया गया। यहां प्रार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य पाया जाता है कि एक से अधिक आवेदन होने पर प्रश्नगत भूमि की निलामी प्रक्रिया से विक्रय किया जाना अपेक्षित था, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 15 दिनांक 31.03.2017 नियम 167(1) में विहित प्रारुप संख्या 23 में जारी है एवं नियम 167 (1) निलामी के पट्टे का प्रारुप विहित करता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में निलामी प्रक्रिया प्रभाव में लाई ही नहीं गई अर्थात् राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 151 से 154 की पालना किये बिना ही ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा नियम 167 के अन्तर्गत आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, जो वैधानिक नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की गई एवं दो पृथक पृथक एवं परस्पर असम्बन्धित व्यक्तियों को आलोच्य भूखण्ड का संयुक्त विक्रय कर अवैधानिक कार्यवाही निष्पादित की गई।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा मिसल संख्या 276ए/ –16 में पारित संकल्प संख्या 4 एवं भूमि विक्रय विलेख संख्या 15 दिनांक 31.03.2017 अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत मुण्डारा को पुनःप्रेषित कर आलोच्य भूमि का खुली निलामी की प्रक्रिया से विक्रय करने के निर्देश दिए जाते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 66/2024

उनवान : गोपालसिंह बनाम रतनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उभयपक्ष प्रस्तावित निलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वतन्त्र है। साथ ही, ग्राम विकास अधिकारी एवम् पंचायत मुण्डारा को यह भी निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किये गये भूमि विक्रय विलेख की मूल प्रति पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली जिला-पाली